



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून बृहस्पतिवार, 22 फरवरी, 2007 ई0

फाल्गुन 03, 1928 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग

संख्या 26/XII/07/90(32)/2006

देहरादून, 22 फरवरी, 2007

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961) (समय-समय पर यथा संशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 44 के साथ पठित धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग)
नियमावली, 2007

भाग एक-सामान्य

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) यह गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में— परिभाषाएं
 - (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है;
 - (ख) "संवर्ग" से नियम 3 के अधीन सृजित अपर मुख्य अधिकारी के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग अभिप्रेत है;
 - (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है;
 - (घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत है;
 - (ङ) "चयन समिति" से नियम 8 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है;
 - (च) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

